



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014
संख्या व.सं./138/2021-1017

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक- 24/11/2022

विषय - नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत राजगीर एवं आस-पास क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1666 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत राजगीर एवं आस-पास क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.1666 हे० वन भूमि अपयोजन के लिये कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से भाग-II एवं भाग-III में प्रविष्टि उपरान्त प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित दर्जे के वन भूमि का अपयोजन होना है-

Sl No	Purpose	Status of Forest Land		
		Type	Status	Area in Ha
1	Laying of pipeline	Linear	Notified As PF- Road	Forest land
2	Laying of pipeline	Linear	Rajgir wildlife sanctuary and Rjgir PF	1.8059
3	Construction of ESR & Sump	Block	Rajgir wildlife sanctuary and Rjgir PF	0.2247
4	Laying of pipeline	Linear	Notified As Jethian PF (Natural Forest)	0.0900
5	Construction of GLSR	Block	Notified As Jethian PF (Natural Forest)	0.0060
			Notified As Jethian PF (Natural Forest)	0.0400
			Total Area (in Ha)	2.1666

राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 0.3147 हे० वन भूमि के लिये राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्वद की स्थायी समिति की 69वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र F.No. 6-92/2022 WL दिनांक 30.08.2022 की छायाप्रति संलग्न) के कार्यावली संख्या-5/69.5.2 (Proposal No. FP/BR/WATER/148202/2021) की अनुशंसाओं के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के पत्रांक 557 दिनांक 02.09.2022 द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्तावित परियोजना निर्माण का निर्माण अन्दर ग्राउड पाईप लाईन बिछाते हुए किया जाना है जिसके कारण से परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है। अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया है जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र Stage-I में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 4.332 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवकृष्ट वन भूमि को चिन्हित (घोड़ा कटोरा सुरक्षित वन) करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

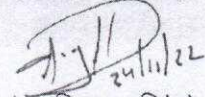
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में आश्रयणी अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 0.3147 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० X 5 के दर से रू० 15,07,067/- एवं परियोजना में आश्रयणी के बाहर अपयोजित होने वाली 1.8519 हे० वन भूमि के लिये 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 17,73,713/- कुल रू० 32,80,780/- (बत्तीस लाख अस्सी हजार सात सौ अस्सी) मात्र नेट प्रजेन्ट मेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली वन भूमि 4.332 हे० के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अन्तर्गत 4.332 हे० अवकृष्ट वन भूमि में घोड़ाकटोरा सुरक्षित वन भूमि को चिन्हित करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

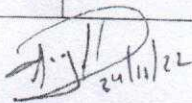


(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत राजगीर एवं आस-पास क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.1666 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट—

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
9	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियो रेफरेन्स मैप	संलग्न।
10	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र-I	संलग्न।


(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



बिहार सरकार

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (वन्यप्राणी प्रभाग)

अनुमति पत्र

संख्या-वन्यप्राणी-गं०ज०उ० पाईपलाईन-राज०-04/2022 557 दिनांक 02/09/22

विषय : जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण में मोतनाजे (Motnaje) से मगर बाराहारी (Mugr Barahari) तक पेय जल वितरण के लिए पाईपलाईन बिछाने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति

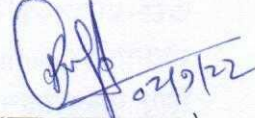
राज्य वन्यप्राणी पर्षद की 10वीं बैठक दिनांक 18.04.2022 तथा राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद की स्थायी समिति की 69वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र F.No.6-92/2022 WL दिनांक 30.08.2022 की छायाप्रति संलग्न) के कार्यावली संख्या-5/69.5.2 (Proposal No.FP/BR/WATER/148202/2021) की अनुशंसाओं के आलोक में गंगा जल उद्वह योजना, प्रथम चरण में मोतनाजे (Motnaje) से मगर बाराहारी (Mugr Barahari) तक पाईपलाईन बिछाने हेतु कुल 0.3147 हे० राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी की भूमि के उपयोग की अनुमति वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित शर्तों एवं अपेक्षाओं के साथ प्रदान की जाती है:-

1. आश्रयणी क्षेत्र की भूमि का नियंत्रण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के अधीन रहेगा।
2. आश्रयणी क्षेत्र के प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्वरूप आश्रयणी का रहेगा।
3. कार्य निष्पादन के दौरान किसी भी पेड़-पौधों को उसके स्थान से काटा/हटाया नहीं जायेगा।
4. पाईपलाईन बिछाने का कार्य एक समय में 500 मीटर की लम्बाई ही किया जायेगा। अगले 500 मीटर की लम्बाई में पाईपलाईन बिछाने का कार्य पूर्व में बिछाये गये पाईपलाईन के गड्ढे को बन्द करने एवं मिट्टी से ढकने के उपरान्त किया जायेगा।
5. निर्माण के दौरान आश्रयणी क्षेत्र में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि आश्रयणी के वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
6. निर्माण के दौरान blasting नहीं की जायेगी। Construction debris आश्रयणी के बाहर सुरक्षित दूरी पर निष्पादित किया जायेगा।
7. सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. पाईप लाईन परियोजना से राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी के अंतर्गत वन्यप्राणी संरक्षण एवं वानिकी क्रिया-कलापों के लिये सुसंगत मात्रा में जलापूर्ति की सुविधा दी जायेगी।
9. वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-वन्यप्राणी प्रतिपालक द्वारा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक से सहमति प्राप्त कर आश्रयणी के हित में अन्य संगत शर्तों का अधिरोपण किया जा सकेगा।

10. मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन हित हेतु अधिरोपित किसी भी अन्य शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को समर्पित किया जायेगा।

अनु०:-यथोक्त।



(प्रभात कुमार गुप्ता)

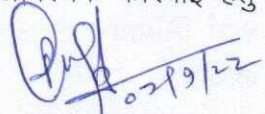
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-गं०ज०उ० पाईपलाईन-राज०-04/2022 557 दिनांक 02/09/22
प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



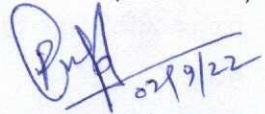
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-गं०ज०उ० पाईपलाईन-राज०-04/2022 557 दिनांक 02/09/22
प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-गं०ज०उ० पाईपलाईन-राज०-04/2022 557 दिनांक 02/09/22
प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

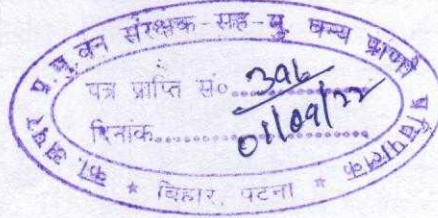
ज्ञापांक-वन्यप्राणी-गं०ज०उ० पाईपलाईन-राज०-04/2022 557 दिनांक 02/09/22
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार



F.No.6-92/2022 WL
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)



1st Floor, Agni Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bag Road, New Delhi-110003.

Date: 30th August, 2022

To
All Members
Standing Committee of NBWL

Sub: Minutes of 69th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life-reg.

Sir/Madam,

Kindly find enclosed copy of the Minutes of 69th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life held on 29th July, 2022 at Chandrapur Forest Academy, Chandrapur, Maharashtra under the chairmanship of Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Yours faithfully,

(Rakesh Kumar Jagenia)

Deputy Inspector General of Forests (Wildlife)

Email: digwl@mefcc@gov.in

Encl: As above

Distribution:

1. Secretary, MoEF & CC
2. DGF&SS, MoEF&CC.
3. ADGF(WL), MoEF&CC.
4. ADGF(FC), MoEF&CC.
5. Member Secretary, NTCA.
6. Director/IGF, PE Division, MoEF&CC.
7. Director, WII, Dehradun.
8. Director, GEER Foundation, Gandhinagar.
9. Dr. R. Sukumar, Member, NBWL.
10. Dr. H.S. Singh, Member, NBWL.
11. Secretary, Environment, Forest, Science and Technology Department, Govt. of Andhra Pradesh.

Copy to:

1. PS to Hon'ble MoEF&CC.
2. PS to Hon'ble MoS, EF&CC.
3. PPS to Secretary, MoEF & CC
4. PPS to DGF&SS, MoEF&CC.
5. PSO to Addl. DGF(WL)/PPS to IGF(WL).

59

6. **Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Forest Department,** Government of Andaman and Nicobar Islands/Arunachal Pradesh/ Bihar/Gujarat/Karnataka/Kerala/Madhya Pradesh/Maharashtra/UT of Jammu and Kashmir/UT of Ladakh/Rajasthan/Tamil Nadu/Telangana/Uttarakhand/Uttar Pradesh/Himachal Pradesh
7. **PCCF and HoFF,** Government of Andaman and Nicobar Islands/Arunachal Pradesh/ Bihar/Gujarat/Karnataka/Kerala/Madhya Pradesh/Maharashtra/UT of Jammu and Kashmir/UT of Ladakh/Rajasthan/Tamil Nadu/Telangana/ Uttarakhand/Uttar Pradesh/Himachal Pradesh.
8. **CWLW,** Government of Andaman and Nicobar Islands/Arunachal Pradesh/ Bihar/Gujarat/Karnataka/Kerala/Madhya Pradesh/Maharashtra/UT of Jammu and Kashmir/UT of Ladakh/Rajasthan/Tamil Nadu/Telangana/Uttarakhand/Uttar Pradesh/Himachal Pradesh.

Copy also to: Sr.Technical Director, NIC with a request to upload the minutes of the meeting on PARIVESH Portal.

3. The user agency shall bear the cost of mitigation measures as per the estimate submitted and appended by the Divisional Forest Officer-cum-Wildlife Warden, Bhagalpur to ensure wildlife and aquatic flora/ fauna conservation through pre-construction, construction and post-construction phases. An amount of Rs. 16.50 crores, which is less than 2% of the project cost, shall be deposited by the user agency in CAMPA under the head 'Additional Charges for Protected Areas'.
4. The legal status of the proposed area will remain as part of the sanctuary and will remain under control of the Environment, Forests and Climate Change Department, Bihar.
5. Every possible effort will be made to minimize the effect of construction on the wildlife and noise shall be kept under limits.
6. No debris shall be dumped in the river. The construction debris will be disposed of outside the sanctuary and at a safe distance.
7. All debris originating from the riverbed will be checked for fossils before being removed out of river and its flood plain. Any fossil found shall be deposited with the Wildlife Warden, Bhagalpur.
8. Except for pier construction, the river bed will not be disturbed.
9. The river islands, sandbars and banks will not be disturbed during the nesting season of the resident and migratory birds and aquatic fauna.
10. The work will be executed in daytime from dawn to dusk.
11. The project proponent/user agency shall comply with any additional conditions imposed by Chief Wild Life Warden, Bihar as deemed necessary in the interest of wildlife protection and management in the sanctuary area.
12. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.

69.5.2 Proposal for use of 0.3147 ha of forest land from Rajgir Wildlife Sanctuary for laying of drinking water pipeline from Motnaje to Mugar Barahari Under Ganga Water Lift Project for Drinking Water Phase-I.

FP/BR/WATER/148202/2021

The Standing Committee was informed that the proposal is for use of 0.3147 ha of forest land from Rajgir Wildlife Sanctuary for laying of drinking water pipeline from Motnaje to Mugar Barahari under Ganga Water Lift Project for Drinking Water Phase-I.

The proposal has been recommended by the Chief Wild Life Warden, State Board for Wild Life and the State Government.

Decision Taken: After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. The area will remain under control of the Environment, Forests and Climate Change Department, Bihar.
2. The legal status of the proposed land will remain as part of the sanctuary.
3. No tree/plant will be cut/removed during execution of the work.
4. The laying of pipeline at a time shall be done in 500 m. length. The next 500 m. length shall be taken up after the previous length has been covered with earth and the ditch closed.
5. Every possible effort will be made to minimize the noise and air pollution during construction so as to prevent any adverse effect on wildlife in that area.
6. There will be no blasting. The construction debris shall be disposed of outside the sanctuary and at a safe distance.
7. The work will be executed in daytime from dawn to dusk.
8. Sufficient supply of water shall be ensured within the Rajgir Wildlife Sanctuary for the purpose of wildlife conservation and forestry activities.
9. An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government of India.

69.5.3 Proposal for use of 1.1459 ha from Wild Ass Wildlife Sanctuary for underground 11 Kv Tourism Feeder Erection Power Line Project at Jaloya Village Ta-Vav Dist:-Banaskantha.

FP/GJ/Others/145293/2021

The Standing Committee was informed that the proposal is for use of 1.1459 ha from Wild Ass Wildlife Sanctuary for underground 11 Kv Tourism Feeder Erection Power Line Project at Jaloya Village in Banaskantha district in Gujarat.

The proposal has been recommended by the Chief Wild Life Warden, State Board for Wild Life and the State Government.

Decision Taken: After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the following conditions:

1. User agency shall not violate any regulatory provisions under Section-9, 17A, 27, 29, 30, 31 & 32 of Wild Life (Protection) Act, 1972.